



2026: AHC: 29246

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या - **5142/2026**

लक्ष्मी नारायण

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 2 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याची के अधिवक्ता: आकाश कुमार, राम कुमार दुबे

प्रतिवादी के अधिवक्ता: आजाद राय, सी.एस.सी. (मुख्य स्थायी अधिवक्ता)

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया।
2. यहाँ पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, निजी प्रतिवादी को नोटिस जारी करने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि निजी प्रतिवादी इस आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उनका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. याची ने प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज को वाद संख्या-2298 (लक्ष्मी नारायण बनाम शांति देवी) को शीघ्रता से निस्तारित करने का निर्देश देने की प्रार्थना के साथ वर्तमान याचिका प्रस्तुत की है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. याची के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) के तहत दायर एक आवेदन लंबे समय से लंबित है। इस स्तर पर उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उप-नियम (7) को नोट करना उचित और उपयुक्त होगा, जो यह आदेश देता है कि ऐसा आवेदन दायर होने पर संबंधित अधिकारी को कानून के अनुसार सख्ती से समयबद्ध अवधि के भीतर उसका निस्तारण करना आवश्यक होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 का उप-नियम (7):

"(7). तहसीलदार अविवादित नामांतरण (दाखिल-खारिज) के मामले को वाद पजीकरण की तिथि से 45 दिनों की अवधि के भीतर और विवादित नामांतरण के मामले को 90 दिनों की अवधि के भीतर तय करने का प्रयास करेगा और यदि कार्यवाही उक्त अवधि के भीतर संपन्न नहीं होती है, तो उसके कारणों को दर्ज किया जाएगा।"

5. उक्त प्रावधान के आलोक में और पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों के प्रकाश में, प्रतिवादी संख्या-2/उपजिलाधिकारी, तहसील फूलपुर, जनपद प्रयागराज को उक्त आवेदन पर विचार करने और इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से अधिमानतः तीन महीने की अवधि के भीतर, बिना किसी अनावश्यक स्थगन के (जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो), कानून के अनुसार सख्ती से गुण-दोष के आधार पर इसे निस्तारित करने का निर्देश दिया जाता है।
6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।
7. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने प्रतिद्वंदी दलीलों के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।

10 फरवरी, 2026

सकलैन

(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"